सरिता सिंह
प्रधान
M.: 9457130500
8859130501

ग्राम पंचायत
नंगला गौसाई
विकास खण्ड, परीक्षित गढ़
मेरठ

871/LP/2023
05/04/23

पत्रांक 89-ग्रा०प्र०

दिनांक: 31-03-2023

NATIONAL GREEN TRIBUNAL Principal Bench Receipt & Issue Branch Received
03 APR 2023
Dairy No. 1443
Signature

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष महोदय

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण(national green tribunal) नई दिल्ली

विषय--प्रार्थिनी/शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत संख्या 595 सन 2022 में मेरठ के प्रशासन द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को भ्रमित करने के आशय से दिनांक 27-12-2022 पत्रांक संख्या 1215/एस०टी०-मवाना/2022 तथा कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा दिनांक27-5-2022 को प्रेषित विरोधाभासी (भ्रमित करने वाली) जांच आख्या के संबंध में

आदरणीय महोदय

१, ग्राम पंचायत नगला गोसाई, विकासखंड परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ, में स्थित खाता संख्या 00448 में अंकित कुल 09 खसरा संख्या में दर्ज झील की भूमि जिसका क्षेत्रफल 71.4880 हेक्टेयर आकृर्षक जलमग्न भूमि तथा खाता संख्या 00445 में अंकित कुल 23 खसरा संख्या में झील का क्षेत्रफल 20.8760 हेक्टेयर बंजर भूमि पर बिना किसी भी वैध प्राधिकार के अवैध कब्जा करके पर्यावरण को सदोष हानि पहुंचा कर एवं अवैध कब्जा धारियों को सदोष लाभ अर्जित करने के कारण एक शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित की गई थी

203/PG-LP
15/4/23

२, शिकायतकर्ता की शिकायत पर माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त अवैध कब्जे वाली समस्त भूमि के संबंध में मेरठ के जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी मवाना तथा तहसीलदार मवाना से आख्या मांगी गई थी। जिला प्रशासन मेरठ अवैध कब्जे वाली भूमि के संबंध में तथ्यों को छिपाकर आधी अधूरी तथा असत्य

Ld. R.G.
03/04/2023

257/23/Jud.
20/4/23

OA 595/22

ग्राम– नंगला गौसाई, डा० अगवानपुर, मेरठ – 250406
E-mail : saritasinghpahal125@gmail.com

सरिता सिंह
प्रधान
M.: 9457130500
8859130501

ग्राम पंचायत
नंगला गौसाई
विकास खण्ड, परीक्षित गढ़
मेरठ

पत्रांक

दिनांक :

आख्या भेजकर माननीय अध्यक्ष महोदय के समस्त विचाराधीन शिकायत को स्थानीय विधायक/राज्यमंत्री श्री दिनेश खटीक के प्रभाव के कारण समाप्त कराने को प्रयासरत है। अवैध कब्जे वाली भूमि में कुल9+23(32 खसरा संख्या हैं) जबकि मेरठ प्रशासन केवल 09 खसरा संख्याओं के बारे में ही अपनी आख्या भेज रहा है। कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना के पत्रांक एस०टी०/2022 दिनांक 27 मई 2022 को उपरोक्त अवैध कब्जे के सम्बन्द में जिलाधिकारी मेरठ को प्रेषित रिपोर्ट तथा कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना के द्वारा ही पत्रांक संख्या 1215/एस०टी०-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसंबर 2022 को श्रीमान अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भेजी गई आख्या विरोधाभासी है। (उप जिलाधिकारी मवाना के पत्रांक/एस०टी०/2022 दिनांक 27-5-2022 की छाया प्रति संलग्न कर भेज रही हूं)

३, कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना द्वारा पत्रांक संख्या 1215/एस०टी०-मवाना/2022 दिनांक 27 दिसंबर 2022 को माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली को प्रेषित आख्या के सम्बन्द में शिकायतकर्ता द्वारा पुनः एक पत्र संपूर्ण 09+23 खसरा संख्याओं कि कुल 92.364 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दिनांक 27 फरवरी 2023 को पत्र प्रेषित करके श्रीमान तहसीलदार महोदय को अवैध कब्जा धारियों से जिनके कारण भूमि की क्षमता तथा अनुपात के साथ छेड़छाड़ करके भूमि पर अवैध कब्जा करके शासन को क्षति पहुंचाने पर्यावरण को दूषित होने से रोकने के लिए डाक द्वारा पत्र प्रेषित किया था। माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को भी डाक द्वारा पत्रकी प्रति प्रेषित की थी।

४, जलमग्न एवं बंजर भूमि पर अवैध कब्जा धारी अवैध रूप से कब्जा की गई भूमि पर अभी भी फसल लगा रहे हैं जिस के सम्बन्द में प्रार्थनी ने उप जिलाधिकारी मवाना एवं तहसीलदार मवाना को दिनांक 23 मार्च 2023 को उनके सरकारी मोबाइल पर अपने मोबाइल संख्या 9457130500 से फसल उगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए आग्रह किया था जिसको दोनों ही अधिकारियों ने अनसुना कर दिया

ग्राम– नंगला गौसाई, डा० अगवानपुर, मेरठ – 250406
E-mail : saritasinghpahal125@gmail.com

सरिता सिंह
प्रधान
M.: 9457130500
8859130501

ग्राम पंचायत
नंगला गौसाई
विकास खण्ड, परीक्षित गढ़
मेरठ

पत्रांक

दिनांक:

५, उक्त क्षेत्र wildlife sanctuary के अंतर्गत आता है जहां जंगली जानवर विशेष रुप से पहाड़ा, चीतल, बारहसिंघा एवं अन्य जंगली जानवर रहते हैं, उक्त जलमग्न भूमि जिस पर विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता वहां पर भी स्थानीय विधायक के दबाव में अवैध कब्जा धारियों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिए, विद्युत कनेक्शनों का लाभ उठाकर अवैध कब्जा धारी रात्रि के समय अवैध कब्जा की गई जमीन में नग्न बिजली के तार बिछाकर जंगली जानवरों का अवैध शिकार करते हैं । अक्सर बिजली के करंट से मरने वाले जानवर जिनको ये शिकारी नहीं ढूंढ पाते वह सड जाते हैं जिनमें कुछ समय पश्चात दुर्गंध आने लगती हैं जिससे प्रदूषण फैलता है। इन सब के उपरांत जनपद मेरठ के प्रशासन द्वारा न तो अवैध कब्जे वाली जलमग्न भूमि से कब्जा हटवाने का कोई सार्थक प्रयास किया है, न ही उक्त भूमि में खड़े हुए वृक्षों को अवैध रूप से काटने पर किसी प्रकार की कार्यवाही की है, वर्तमान समय में अवैध कब्जा धारी उक्त भूमि पर धान एवं सब्जी की फसल लगा रहे हैं उसे रोकने का भी कोई प्रयास प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। (जिसके फोटोग्राफ्स संलग्न है) and (गूगल को ऑर्डिनेट 29.0288670, 78.0264840 And 29.0360290, 78.0230960)

ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी का निवेदन है की उक्त सभी शिकायतों को वाद संख्या 595/2022 कि पत्रावली पर ले जाकर सुनवाई करने की कृपा करें

प्रार्थिनी

सरिता सिंह

प्रधान
ग्राम पंचायत नंगला गौसाई
परीक्षितगढ़, जिला–मेरठ

सरिता सिंह, प्रधान
ग्राम पंचायत नगला गोसाई
विकासखंड परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ,
9457130500

प्रतिलिपि - १ जिलाधिकारी, मेरठ
२ उपजिलाधिकारी, मवाना
३ तहसीलदार, मवाना

कार्यालय उप जिलाधिकारी मवाना

पत्रांक: /एस0डी0/2022 दिनांक 27.05.2022

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

महोदय,

मा0 मुख्यमंत्री जनसुनवाई सन्दर्भ सं0 12138220042236, प्रार्थिनी सरिता सिंह निवासी ग्राम नंगला गोसाई, तहसील मवाना, जिला मेरठ, द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया गया है कि झील की भूमि को भूमाफिया से कब्जामुक्त कराया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बंध में तहसीलदार मवाना से जाँच कराई गयी। तहसीलदार मवाना ने अपनी जाँच आख्या में उल्लेख किया है कि नगला गोसाई की जिस भूमि पर अवैध कब्जा बताया गया है। यह भूमि खसरा संख्या 572 क्षेत्रफल 15.401है0 व खसरा संख्या 571 क्षे0 12.144है0 राजस्व अभिलेखों में झील दर्ज है जिस पर लगभग 70 बंगाली परिवार लगभग 20 वर्षों आबादी बनाकर निवासरत है। उक्त व्यक्तियों के पास ग्राम में अन्य कोई आवास नहीं है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

उप जिलाधिकारी
मवाना।